

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-अर्जन प्रशाखा
अधिघोषणा

संख्या : आर0 पटना, दिनांक :
चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- छपड़ा मेघ,, थाना नं0-421, अंचल-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा छपड़ा मेघ,, थाना नं0-421, अंचल-मुशहरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 0.10 (दस डीसमल) एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-अंश खेसरा नं0- 3956.

चौहद्दी

उत्तर - अंश खेसरा नं0-3956.

दक्षिण - पूर्ण खेसरा नं0-4834, 4835, 3955 एवं मौजा- छपरा मेघ चादर नं0-01.

पूरब - सड़क नं0 4833.

पश्चिम - मौजा- छपरा मेघ चादर नं0-01.


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लैट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।


(संतोष कुमार मल्ल)
समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या-14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)-मुजफ्फरपुर -59/2013- 922 दि0-25/3/13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

610
21/3/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।